1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट दूदू

पीठासीन अधिकारी – श्री गोपाल परिहार (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र 14 (4) संख्या 58 / 2012 पुनः दर्ज 20 / 2021

1. रामदेव पुत्र श्योजीराम जाति जाट आयु 72 वर्ष, निवासी ग्राम केरिया खुर्द, उररोवा, हरसौली, तहसील मौजमाबाद, हाल तहसील दूदू, जिला जयपुर ।

1 / 1 दाखा बेवा रामदेव जाट
1 / 2 छीतरमल पुत्र रामेदव जाट
1 / 3 सोहनी पुत्री श्री रामदेव जाति पत्नी श्री हरिराम जाट
1 / 4 सुमित्रा पुत्री श्री रामदेव जाट पत्नी श्री किशनलाल जाट
1 / 5 रामकंवरी पुत्री श्री रामेदव जाट पत्नी श्री रामचरण जाट
1 / 6 होशियार पुत्री श्री रामदेव जाट पत्नी श्री भैंरुलाल जाट
1 / 7 किशनी पुत्र श्री रामेदव जाट पत्नी श्री रामेश्वर जाट
समस्त निवासीयान नगर टोंक

प्रार्थी

बनाम

1. बी.एन.गौड पुत्र एवं पता नामालूम परन्तु भूमि स्थित, जाति ब्राह्मण केरिया खुर्द, पटवार एवं तहसील मौजमाबाद, हाल तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
2. उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर।
3. सरकार जरिये तहसीलदार मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
4. पांचूराम पुत्र श्री श्योजीराम जाट निवासी केरियाखुर्द, तहसील मौजमाबाद (हाल दूदू) जिला जयपुर ।
5. रामधन पुत्र श्री श्योजीराम जाति जाट निवासी केरियाखुर्द, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

अभिभाषक गणः–

वास्ते प्रार्थी –
एडवोकेट श्री उदयसिंह चौधरी
अप्रार्थी संख्या 1
एडवोकेट श्री भैरुलाल शर्मा
अप्रार्थी संख्या 2, 3 पैरोकार सरकार
अप्रार्थी संख्या 4, 5
एडवोकेट श्री मुकेश चौधरी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) आवंटन नियम 1970 भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत निरस्त कराये जाने फर्जी दिखावटी व नुमाईशी आवंटन आदेश दिनांक 28.06.1976 आवंटन समिति आवंटन कमेटी, उपखण्ड अधिकारी तथा उक्त आवंटनों के अस्तित्व में नहीं होते हुये भी तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 52 को निरस्त करने बाबत्

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

(2)

निर्णय

दिनांक : 07.07.2025

प्रस्तुत प्रकरण ग्राम केरिया खुर्द पटवार मण्डल उरसेवा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हरसौली, तहसील दूदू, जिला जयपुर से संबंधित है तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि–

1. कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 450, 451, 452 गत नम्बर 282 है जिनका कि किसी भी प्रकार से आवंटन प्रार्थीयान के पक्ष में तत्समय आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नहीं किया गया है। अप्रार्थी श्री बी.एन.गौड के पक्ष में नामान्तरण संख्या 52 दिनांक 28.06.1976 किसी आधार पर एवं किस आवंटन आदेश के द्वारा दर्ज किया गया है, कतई साबित एवं स्पष्ट नहीं है। उपखण्ड अधिकारी सांभर कार्यालय से आवंटन आदेश दिनांक 28.06.1976 की प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए आवेदन पर उपखण्ड अधिकारी कार्यालय से ऐसी कोई आवंटन प्रोसिडिंग नहीं होना अवगत कराते हुए आवेदन पत्र लौटा दिया। ऐसी स्थिति में नुमाईशी दिखावटी एवं फर्जी आवंटन आदेश की पालना में खातेदारी नामान्तरकरण नहीं खोला जा सकता है। प्रार्थी शिकायतकर्तागण का विगत 60 वर्षो से इस भूमि पर कब्जा काश्त है जिन्हें कभी भी बेदखल नहीं किया गया है। पक्के मकानात सहित निवास हैं। उपखण्ड अधिकारी सांभर द्वारा पारित निर्णय बिना आवंटन आदेश किया गया है जो अवैध हैं। कृषि भूमि आवंटन नियमों की कोई पालना नहीं की गई है। उपखण्ड अधिकारी की उक्त कार्यवाही एब इनिशियों वॉइड है। जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद है। प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि आवंटन नियमों की कोई पालना नहीं की गई है। अतः यह कपटपूर्ण होने के कारण खारिज योग्य है। अन्त में आवंटन नियम 1970 की पालना नहीं होने के कारण आवंटन निरस्त योग्य एवं इस संबंध में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 52 व 56 को निरस्त की की प्रार्थना की है।
2. उक्त प्रार्थना पत्र के साथ निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये –
   1. नकल नामान्तरकरण संख्या 52
   2. नकल प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी
   3. प्रार्थी के नाम बिजली के दो बिल
   4. प्रार्थी के आवास की फोटो एवं हैण्डपम्प
3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई एवं अधीनस्थ कार्यालय से रिकार्ड तलब किया गया।
4. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र 14 (4) का पेश किया गया।
5. प्रकरण में प्राप्त दस्तावेजात एवं साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की वहस को ध्यान से सुना तथा मनन किया।
6. अपने प्रत्युत्तर में अप्रार्थी बद्री नारायण गौड पुत्र श्री हनुमान प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी केरिया खुर्द हाल निवासी मकान नं0 155 सन्तोष सागर कॉलोनी, ब्रह्मपुरी रोड जयपुर के द्वारा एक फोटो प्रति आवंटन आदेश की संलग्न की गई है जिसके अनुसार ग्राम केरियाखुर्द में खसरा नम्बर 282 में से रकबा 14 बीघा 07 बिस्वा भूमि अप्रार्थी को भूमि आवंटन किया जाना वर्णित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रेषित दस्तावेजों में श्री बी.एन.गौड से संबंधित पत्रावली प्रेषित नहीं की है। उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा अपने पत्र कमांक विविध/12/743 दिनांक 21.08.2012 को प्रेषित पत्रावली में कानसिंह के पत्राचार पत्रावली के साथ "आवंटन आदेश की पटवारी को सूचना" आदेश पत्र में श्री बी.एन.गौड को दिनांक 28.06.1976 को ग्राम केरियाखुर्द तहसील दूदू के खसरा नम्बर 282 रकबा 14 बीघा 7 बिस्वा आवंटन का आदेश कमांक 2326 दिनांक 02.07.1976 को आवंटन किये जाने बाबत आदेश दिये हैं। संबंधित पत्रादि में इस पत्रावली के साथ कानसिंह के नाम के कागजात शामिल है। इसी आदेश के आधार पर नामान्तरण संख्या 52 सिवायचक खसरा नम्बर 282 रकबा 28 बीघा 14 बिस्वा में से श्री बी.एन.

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

गौड के नाम से खसरा नम्बर 282 रकबा 14 बीघा 07 बिस्वा का नामान्तरण स्वीकार किया गया है। श्री बी.एन.गौड के नाम से वर्तमान में खसरा नम्बर 264 रकबा 0.25 हैक्टर गैमु. सडक, खसरा नम्बर 451 3.3800 हैक्टर किता 2 रकबा 3.63 हैक्टर गैर खातेदारी में दर्ज है।

अप्रार्थी बी.एन.गौड के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि शिकायत कर्ता को यह आवेदन प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थी को भूमि का नियमानुसार आवंटन किया गया है। आवंटन के उपरान्त ही नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज किया गया है। कथन किया है कि यदि सहवन से प्रार्थी के आवंटन प्रार्थना पत्र की एवज में दूसरे के प्रार्थना पत्र आवंटन हेतु दर्ज कर दिया है तो व राजकीय कर्मचारियों की भूल है। जबकि बी.एन.गौड एल.एस. 83264 को आवंटन ग्राम पाल व गिदानी में हुआ है और प्रार्थी का आवंटन केरियाखुर्द में है। इसलिए प्रार्थी को जो आवंटन प्रार्थना पत्र था उसको जानबूझकर उलट पुलट किया गया है। प्रार्थी को आवंटन लगभग 49–50 वर्ष पहले हुआ था जो निरस्त नहीं किया जा सकता। शिकायतकर्ता का कोई कब्जा नहीं है तथा रंजिशवश शिकायत की गई है। राजस्व कर्मचारियों ने उस समय हुये कई आवंटन की पत्रावलियों को उलट पुलट कर दिया जिसका नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थी ने गलत रूप से यह आवेदन पेश किया है। कानसिंह को जो भूमि आवंटन किया गया था उस भूमि पर वह कब्जा लेने नहीं आया। अप्रार्थी ने कोई फर्जी कार्यवाही नहीं की है, सही बात यह है कि अप्रार्थी के आवंटन को तत्कालीन पटवारी ने जानबूझकर इधर उधर किया है जबकि आवंटन आदेश में खसरा नम्बर 282 दर्ज है और उसी दिन जो कानसिंह को आवंटन किया गया है उसके खसरा नम्बर 125 है, इससे स्पष्ट है कि दिनांक 28.06.1976 को आवंटन की कार्यवाही आवंटन सलाहकार समिति ने नियमानुसार की थी।

अप्रार्थी श्री बी.एन.गौड के शपथ पत्र के अनुसार श्री गौड का पता निवासी केरिया खुर्द हाल निवासी प्लॉट नम्बर 155, संतोष सागर कॉलोनी, ब्रह्मपुरी रोड, जयुपर वर्णित किया है। श्री अप्रार्थी के द्वारा अपने आपको इस ग्राम केरिया खुर्द का निवासी होने के लिए कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है। तहसीलदार मौजमाबाद के द्वारा उपखण्ड अधिकारी दूदू को प्रेषित की गई रिपोर्ट दिनांक 24.03.2011 के अनुसार अप्रार्थी श्री बी.एन.गौड का मौके पर कब्जा नहीं है। इस प्रकार मौके पर काबिज नहीं होने तथा भूमि आवंटन की शर्तो की पालना नहीं करने के कारण अप्रार्थी श्री बी.एन.गौड के विरूद्ध प्रार्थना पत्र नियम 14(4) स्वीकृत किया जाता है।

अतः उक्त विवेचन के अनुसार राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थी श्री बी.एन.गौड पुत्र हनुमान प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी केरियाखुर्द तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर हाल निवासी कमान नं. 155 संतोष सागर कॉलोनी ब्रह्मपुरीरोड, जयपुर के इस ग्राम का निवासी नहीं होने, तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार गैर खातेदार आसामी का कब्जा नहीं होने तथा आवंटन नियमों की पालना नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 4 व 5 सदभावी शिकायतकर्ता है तथा उनके द्वारा कोई रिलीफ नहीं चाही गई है।

निर्णय आज दिनांक 07.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

(गोपाल परिहार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू राज0